न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः डॉ.रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

प्रकरण संख्या –143 / 2016 (आवन्टन निरस्तीकरण)

GCMS No. 2016 / 00293

सरकार जर्ये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा

––प्रार्थी.

बनाम

1. मिट्‌टूलाल पुत्र घांसी
2. लालचन्द पुत्र घांसी
3. कैलाश पुत्र घांसी,
4. मुन्ना पुत्र घांसी
5. ओमप्रकाश पुत्र घांसी
6. कालीबाई, पुत्री घांसी
7. भूलीबाई पुत्री घांसी
8. गुड्‌डी पुत्री घांसी

जाति कुम्हार निवासीगण कुंभकोट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राज0

——अप्रार्थी.

जिला कलेक्टर कोटा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अतर्गत आवंटन निरस्त करने बाबत्।

उपस्थित–
1. पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः– 21 / 05 / 2024

1 प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार आवंटी अप्रार्थीगण को ग्राम कुंभकोट तहसील रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 259 की 0.12 हे0 भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी । पटवारी रिपोर्ट अनुसार आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं होने तथा आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की जाने से अप्रार्थी को किये गये उक्त आवंटन को आवंटन नियम 14(4) के तहत खारिज कराने हेतु प्रकरण इस न्यायालय में पेश किया गया।

2. प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी आवंटी की तलबी हेतु नोटिस जारी किया किया गया । अप्रार्थीगण द्वारा नोटिस लेने से मना किया जाने से नोटिस तामिल माना गया । अप्रार्थीगण द्वारा नोटिस नहीं लेने तथा अनुपस्थित रहने से अप्रार्थीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई । प्रकरण के सम्बन्ध में तहसीलदार रामगंजमण्डी से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई भू अभिलेख निरीक्षक कुदायला की मौका रिपोर्ट दिनांक 14.12.2022 प्राप्त हुई जो पत्रावली संलग्न है । अप्रार्थी बावजूद सूचना के निरन्तर अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर पेरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस सुनी ।

जिला कलेक्टर
कोटा

3. पेरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि अप्रार्थी को ग्राम कुंभकोट तहसील रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 259 की 0.12 हे0 भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी । आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना में कब्जा काश्त नहीं कर आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के हक में किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावें ।

4. हमने पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अप्रार्थी को कुंभकोट तहसील रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 259 की 0.12 हे0 कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी, किन्तु अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं करने से तथा आवंटन शर्तो का उल्लंघन करने से तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत किया है भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 14.12.2022 अनुसार मौके पर भूमि पर कोटा स्टोन की पॉलिश व मलबा डला हुआ है, भूमि पर काश्त नहीं हो रही है । अप्रार्थी के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने तथा मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि पड़त होने से तथा भूमि पर कोटा स्टोन का मलबा डला हुआ होने से आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है । ऐसी स्थिति में प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाते है ।

5. परिणामस्वरूप प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) स्वीकार किया जाकर ग्राम कुंभकोट तहसील रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 259 की 0.12 हे0 भूमि का अप्रार्थी के हक में किया गया कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन निरस्त किया जाकर तहसीलदार रामगंजमण्डी को आदेश दिये जाते है कि उक्त भूमि सिवायचक दर्ज करते हुए कब्जेराज लेवें ।

6. निर्णय आज दिनांक 21.5.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलेक्टर
कोटा